

(30)

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

RCMS
2019/00009

6/6/19

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

नवलाराम वल्लु दुर्गाराम केमल
निवासी सिणधरी चारवाण

सिणधरी

किरम मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. नं. 20 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03/3/19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या <u>104/2</u> रकबा <u>0-07 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गैर सायल</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>18/3/19</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
18/3/19	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई गैर सायल उपस्थित। नोटिस आबद मकान पर चरखा होकर कब्जा तामिली प्रश्न हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिले शामिल मिलल किया गया। पत्रावली कार्य दि. 28/3/19 को प्रस्तुत है।</p>	नवलाराम

तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

28/3/19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई और
लायल उपस्थित। अधिकांश हथियारों
समय न्याय गया। पत्रावली कार्यदा
दिनांक 15/4/19 का प्रस्तुत है।

&

तहसीलदार सिणधरा
जिला - बाड़मेर

नवलराम

15.4.19

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। और साभल
उपस्थित। और साभल के अधिकांश
हथियारों समय न्याय को दीया
जाकर पत्रावली दिनांक 06/5/19
का प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

नवलराम

6/5/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। और साभल अनुपस्थित
और साभल द्वारा दिनांक 18/3/19 का प्रस्तुत जवाब
का भव लोकन किया गया, जवाब में कोई विधि संमत
नहीं पाए गए, एवं न ही और साभल द्वारा
कर्टी के संदर्भ में कोई विधि मान्य दस्तावेज प्रस्तुत
किए। अतः और साभल के अधिकांश अधिष्ठित
किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनाए है।
निर्णय प्रत्यक्ष के लिये जाकर प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा पत्रिका स. 4 के
पृष्ठ सं. 1 पर क्र.सं. 3 पर नुमांता/फसल
नियुमी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी